क्रमांक 2384-ज(I)-76/3345.—श्री विशन सिंह, पुत्र श्री शेर सिंह, गांव तिगड़ाना, तहसील व जिला भिवानी की दिनांक 14 अप्रैल, 1971 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री विशन सिंह की मुल्लिग 100 रुपये वार्षिक की जागीर, जो उसे पंजाब सरकार की अधिसूचना क्रमांक 5146-जे एन(III)-66/10574 दिनांक 7 जून, 1966, द्वारा मंजूर की गई थी हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 के अन्तर्गत 150 रु० वार्षिक दर से अब उसकी विधवा श्रीमति कमला देवी के नाम खरीफ, 1971 से सनद में दी गई शर्तों के अंतर्गत तबदील की जाती है।

क्रमांक 2433-ज(I)-76/3355.—श्री केहर सिंह, पुत्र श्री मुकन्दा, गांव आमयाकी गोखास, तहसील रिवाड़ी, जिला महेन्द्रगढ़ की दिनांक 24 अक्तूबर, 1975 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एव 2 (ए) (1ए) तथा 3 (1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री केहर सिंह की मुल्लिग 150 रु० वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 465-आर(III)-69/8560, दिनांक 22 अप्रैल, 1969 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती रूपी देवी के नाम खरीफ 1976 से 150 रु० वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है।

दिनांक 10 फरवरी, 1977

क्रमांक 110-ज(II)-77/3668.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है), की धारा 2 (ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री शंकर राम पुत्र श्री कालू राम, गांव माजरा नन्द कर्ण, तहसील कैथल, जिला कुरुक्षेत्र को रबी, 1973 से 150 रु० वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 2459-ज(II)-76/3672.—श्री बी० डी० सिंह पन्नु, पुत्र श्री महन्त बाला दास, पन्नु कुटिया (ए-425) सदर बाजार, करनाल के चौथे लड़के की आपात काल में फौज में की गई सेवा के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री बी० डी० सिंह, पन्नु को मुल्लिग 100 रुपये वार्षिक की जागीर, जो उसे हिरयाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 12328-जे एन (III) 65/336, दिनांक 13 जनवरी, 1966 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041 आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1960 द्वारा मन्जूर की गई थी, को बढ़ा कर अब उसे रबी, 1973 से 200 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक 36-ज(II)-77/3676.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने दी गई फसल तथा राशि एवं सनद में गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं:—

क्रमांक	जिला	जागीर पाने वाले का नाम	गांव व पता	तहसील	फ़सल/वर्ष जब से जागीर दी गई	वार्षिक राशि
1	2	3	4	5	6	7
						रु०
1	रोहतक	श्री रिसाल सिंह, पुत्र श्री भागती	मानसरू खुर्द	बहादुरगढ़	रबी, 1973 से	150
2	,,	श्री धूप सिंह, पुत्र श्री हरके राम	निलोठी	,,	रबी, 1973 से	150
3	,,	श्री नारायण सिंह, पुत्र श्री मेहर चन्द	खानपुर खुर्द	झज्जर	रबी, 1973 से	150
4	,,	श्रीमती रुकमनी देवी, विधवा श्री फूले	खेड़ी साध	रोहतक	खरीफ, 1965 से रबी, 1970 तक	100
					खरीफ, 1970 से	150